सीएम ने स्व-गणना पोर्टल पर कराया पंजीयन

राज्यपाल पटेल ने भी स्व-गणना प्रक्रिया में लिया हिस्सा

- 30 अप्रैल तक ऑनलाइन स्व-गणना का कार्य होगा
- एक से 30 मई तक मकान सूचीकरण होगा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 अप्रैल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज से प्रदेश में जनगणना का शुभारंभ हो रहा है. यह सिर्फ आंकड़ों की प्रक्रिया नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के भविष्य को सही दिशा देने का महत्वपूर्ण कदम है. जनगणना देश की रीढ़ है, यह विकास की नींव है.

इस बार की जनगणना डिजिटल और आधुनिक तकनीक के साथ हो रही है. प्रदेशवासियों को इसमें पूर्ण निष्ठा और सत्यता के साथ भाग लेना चाहिये. यह जनगणना हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है.

प्रदेश में 16 से 30 अप्रैल तक ऑनलाईन स्व-गणना का कार्य होगा. एक से 30 मई तक मकान सूचीकरण होगा. यह प्रक्रिया डिजिटल रूप से होगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त किए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व-गणना पोर्टल पर प्रारंभिक पंजीकरण कर प्रदेश में स्व-गणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों की प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य को सही दिशा देने का महत्वपूर्ण कदम है. इससे हम जान सकेंगे कि विकास की धारा समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुगमता से पहुंच रही है या नहीं. यह जनगणना हमारी अगली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए है. प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जनगणना में वह सही, सटीक और पूर्ण जानकारी दे. जनगणना में लगे कर्मचारी-अधिकारी राष्ट्र निर्माण का पवित्र कार्य कर रहे हैं. उनका परिश्रम और सटीकता से किया गया कार्य देश के भविष्य को मजबूत बनाएगा.

भोपाल, 16 अप्रैल. राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी आज लोकभवन में देश की 16वीं जनगणना की स्व-गणना प्रक्रिया में शामिल हुए. उन्होंने स्व-गणना पोर्टल पर ऑनलाइन स्व-गणना संबंधी जानकारियाँ दर्ज कीं.

राज्यपाल को बताया गया कि जनगणना का कार्य प्रदेश में दो चरणों में किया जा रहा है. इस कार्य में प्रदेश के 1 लाख 60 हजार कर्मचारियों को संलग्न किया गया है. देश में पहली बार केन्द्र सरकार ने नागरिकों को जनगणना की प्रक्रिया में सह भागिता का अवसर प्रदान करने के लिए स्व-गणना की अभिनव पहल की है।नागरिकों की सहभागिता से जनगणना की जानकारियों की पारदर्शिता ब?गी। जानकारियों में किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना समाप्त हो जायेगी. उल्लेखनीय है कि जनगणना 2027 का कार्य मध्यप्रदेश राज्य में दो चरणों में किया जाना है.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निगरानी की गई परियोजनाएँ
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित
(भारत सरकार का एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)
NBCC नवरत्न सीपीएसई
ASPIRE

ई-नीलामी के माध्यम से

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) स्थित नॉलेज पार्क-V में स्थित पूर्व आम्रपाली समूह की टेक पार्क परियोजना की बिक्री NBCC के माध्यम से की जा रही है।
इच्छुक पक्ष RAILTEL (ई-नीलामी आयोजित करने के लिए NBCC (INDIA) LTD द्वारा नियुक्त एजेंसी) या वेबसाइट https://nbccauction.enivida.com पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 23.04.2026 है।
ई-नीलामी 24.04.2026 को आयोजित की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: 9772907414

चंबल में रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध

मुरैना, 16 अप्रैल. मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में अवैध खनिज उत्खनन पर सख्ती बरतते हुए प्रशासन ने चंबल नदी से रेत के उत्खनन एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह निर्णय टास्कफोर्स की बैठक में लिया गया. आधिकारिक जानकारी के अनुसार राजघाट, भानपुर, देवरी और सिकरोदा नहर तिराहा सहित प्रमुख स्थानों पर विशेष सशस्त्र बल की तैनाती की गई है. इन स्थानों पर बनाए गए कैंपों के माध्यम से अवैध उत्खनन और परिवहन पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी. प्रभारी कलेक्टर कमलेश कुमार भार्गव और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पुलिस, खनिज, वन विभाग और बल के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया और कार्रवाई की रणनीति तय की. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में रेत का अवैध उत्खनन या परिवहन नहीं होने दिया जाएगा. उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर एफआईआर दर्ज की जाएगी और जब्त वाहनों की नीलामी भी की जाएगी.

एमपी में बढ़ी गर्मी की तपिश

भोपाल, 16 अप्रैल. मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए भीषण गर्मी का रूप ले लिया है. राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है और आने वाले चार दिनों तक स्थिति और गंभीर रहने की संभावना जताई है.

इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के कई जिलों में गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं. रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जैसे जिलों में लू का असर अधिक तेज रहने की चेतावनी दी गई है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने की अपील की है.

मौसम में यह बदलाव अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में देखने को मिल रहा है. महीने की शुरुआत में जहां आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से राहत मिली थी, वहीं अब तापमान में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है. बुधवार को प्रदेश के 25 से अधिक शहरों में तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर पहुंच गया. नौगांव में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस, खजुराहो में 42.2 डिग्री, रतलाम में 42 डिग्री और नर्मदापुरम में 41.8 डिग्री दर्ज किया गया.

इंदौर और ग्वालियर में भी इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ, जबकि भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में भी पारा 40 डिग्री के करीब रहा. बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को दोपहर की धूप से बचाया जा सके.

गिरफ्तारी के लिखित कारण बताना अनिवार्य, पीएचक्यू का परिपत्र जारी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 16 अप्रैल. पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) के अपराध अनुसंधान विभाग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित इकाइयों को एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है. यह परिपत्र 6 नवम्बर 2025 को पारित न्यायालय के आदेश के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

परिपत्र में संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना उसका मौलिक अधिकार है. इसके तहत अब पुलिस अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे आरोपित को गिरफ्तारी के

लिखित कारण उपलब्ध कराएं. केवल मौखिक जानकारी देना पर्याप्त नहीं माना जाएगा. इसके अलावा, लिखित कारण उसी भाषा में दिए जाने होंगे जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझता हो. यह जानकारी गिरफ्तारी के समय या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से कम से कम दो घंटे पूर्व उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा इसकी विधिवत प्रविष्टि गिरफ्तारी अभिलेखों में दर्ज की जाएगी. परिपत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 47 का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी गई है.

सांगठनिक मजबूती के लिए कांग्रेस की बैठक

विशेष संवाददाता

भोपाल, 16 अप्रैल. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को भोपाल स्थित इंदिरा भवन में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकों की श्रृंखला आयोजित की। इन बैठकों में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.

पहले चरण में इंदौर और खंडवा संभाग के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों, जमीनी स्तर पर जनसंपर्क और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. इस दौरान सह प्रभारी उषा नायडू, प्रशिक्षण विभाग प्रभारी महेंद्र जोशी और संगठन महासचिव संजय कामले सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद

रहे.

इसके बाद रीवा और सागर संभाग के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को अधिक सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. इसके पश्चात मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें भविष्य की रणनीति, संगठन विस्तार और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई. बैठक में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी, एआईसीसी सचिव उषा नायडू और पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बैठक को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है. वहीं पटवारी ने सोनिया गांधी द्वारा उठाए गए 33 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे का उल्लेख करते हुए बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने पर जोर दिया.

पोर्टल में दर्ज जन्मतिथि से श्रमिक की आयु की होगी गणना

- आयु संबंधी प्रावधानों को लेकर निर्देश जारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 अप्रैल. मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों की आयु संबंधी प्रावधानों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि समग्र पोर्टल में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर ही संबल पोर्टल पर श्रमिक की आयु की गणना की जाएगी.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के बाद उसकी आयु (जन्म तिथि) में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा.

अपर सचिव श्रम विभाग संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियम संबल योजना में भी सख्ती से लागू रहेगा. उन्होंने बताया है कि समग्र पोर्टल पर मृत्यु प्रविष्टि दर्ज करने से पहले संबंधित हितग्राही की जन्म तिथि का गहन परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए. एक बार मृत्यु दर्ज हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में आयु परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी श्रमिक की आयु पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण पायी जाती है, तो उसके सुधार के लिए आवेदन केवल आईटी विभाग के माध्यम से ही किया जा सकेगा. अन्य किसी माध्यम से आयु संशोधन मान्य नहीं होगा.

सड़क हादसे में 3 की मौत

गोटेगांव, 16 अप्रैल. नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में मासूम बच्ची सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

यह हादसा गोटेगांव बाईपास के बगासपुर मार्ग पर संगम गार्डन के पास हुआ, जहां दो बाइकों के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। थाना गोटेगांव एस.आई संतराम चौरसिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, निवासी छिंदोरी हार रेलवे पुल के पास दौलत सिलावट अपनी पत्नी सपना सिलावट, 3 वर्षीय बेटी सिद्धी और नीरज सिलावट के साथ बगासपुर से अपने ससुराल से गोटेगांव लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही निवासी नूरी मोहल्ला कासिम खान की बाइक से उनकी बाइक की तेज भिड़ंत हो गई।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दौलत सिलावट और कासिम खान की मौत हो गई। हादसे में सपना सिलावट, मासूम सिद्धी और नीरज सिलावट गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को तत्काल गोटेगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान गुरुवार को 3 वर्षीय सिद्धी ने भी दम तोड़ दिया.

छवि धूमिल करने वाली झूठी शिकायतों के विरुद्ध अभियान शुरू

भोपाल 16 अप्रैल. रेल मंडल ने रेलवे की छवि को प्रभावित करने वाली झूठी एवं भ्रामक शिकायतों पर रोक लगाने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है.

इस अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैलने वाली असत्य सूचनाओं की पहचान कर उनका सत्यापन करना और यात्रियों को सही जानकारी उपलब्ध कराना है.

मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान के तहत सभी प्राप्त शिकायतों की गहन जांच की जा रही है. यदि कोई शिकायत सही पाई जाती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है, जबकि तथ्यहीन या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

हाल ही में मंडीदीप रेलवे स्टेशन से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसमें एक यात्री द्वारा तत्काल टिकट में अनियमितता का आरोप सोशल मीडिया पर लगाया गया था. जांच में सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हुआ कि रेलवे कर्मचारी द्वारा नियम अनुसार टोकन व्यवस्था का पालन किया गया था. शिकायतकर्ता को बिना टोकन तत्काल टिकट न मिलने पर आवेश में आकर झूठा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला पाया गया. बाद में शिकायतकर्ता ने अपनी गलती स्वीकार कर शिकायत वापस ले ली. रेल प्रशासन ने ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों को समझाइश दी है.

पेज एक का शेष

बिल को राजनीतिक रंग न दें : पीएम

मोदी की स्पीच की खास बातें

- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें. हम भारतीय मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं. हमारी शासन व्यवस्था को एक संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं.
- मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की राजनीति के रूप-स्वरूप को तय करने के साथ देश की दिशा और दशा भी तय करेगा.
- मैं मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब, सिर्फ उत्तम प्रकार की रेल, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम नहीं हैं. हम चाहते हैं कि विकसित भारत के नीति निर्धारण में सबका साथ-सबका विकास का मंत्र समाहित हो.
- देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या देश की नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है. हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कुछ भी हो, जिम्मेदार कोई भी हो. इसे हमें स्वीकार करना होगा.
- देश में करीब 650+ जिला पंचायतें हैं. करीब पौने तीन सौ महिलाएं उसका नेतृत्व करती हैं. एक कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा जिम्मेदारी होती है उन पर काम करती हैं वो. करीब 6,700 ब्लॉक पंचायतों में से करीब 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायतें ऐसी हैं, जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में हैं. आज देश में 900+ शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में बहनें कार्यरत हैं. मैं मानता हूं, आज देश जो प्रगति कर रहा है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, इस ऋण को हमें स्वीकार करना चाहिए.

पीएम मोदी ने कहा कि यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है. इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन अगर साथ चलेंगे तो किसी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा. हमें क्रेडिट नहीं चाहिए.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14